

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 अप्रैल 2016— चैत्र 23, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-10/2015/32. — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 79-क के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“79-ख.- सौर ऊर्जा-नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित क्षमता के सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र की स्थापना, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित कुल विद्युत भार के अनुसार, उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित भवनों की छतों पर निम्नानुसार की जायेगी,-

तालिका

स. क्र.	भवन की श्रेणी	संयोजित विद्युत भार	स्थापित होने वाले फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वायत्त संस्था या निजी बिल्डर्स/डेव्हलपर्स,- (क) शैक्षणिक भवन	(एक) 50 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक.	(एक) न्यूनतम 10 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) अथवा

(1)	(2)	(3)	(4)
(ख) संस्थागत भवन			संयोजित विद्युत भार का 5%, जो भी अधिक हो
(ग) व्यापारिक भवन			
(घ) वाणिज्यिक भवन			
(ङ) औद्योगिक भवन			
(च) सभा भवन			
(छ) भण्डारण भवन	(दो)	1000 किलोवाट से अधिक	(दो) न्यूनतम 50 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) अथवा संयोजित विद्युत भार का 3%, जो भी अधिक हो.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-10/2015/32 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th April 2016

NOTIFICATION

No. F 3-10/2015/32. — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rule,-

After Rule 79-A, the following shall be inserted, namely :-

“79-B.- **Solar Energy**- Establishment of Solar Energy Electrical Plant of the capacity mentioned in column (4) of the Table below on roof tops of the buildings mentioned in column (2) of the said Table according to the total

Electric load mentioned in column (3) of the said Table shall be as follows,-

TABLE

S. No.	Division of Building	Combined Electric load	Capacity of Photovoltaic Electrical Plants to be Installed
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	The Government, Semi-Government, Autonomous Institutes or Private Builders/Developer's,- (a) Educational Building (b) Institutional Building (c) Business Building (d) Commercial Building (e) Industrial Building (f) Conference Building (g) Storage Building	(i) From 50 Kilowatt to 1000 Kilowatt (ii) More than 1000 Kilowatt	(i) Minimum 10 Kilowatt peak (kwp) Or 5% of the combined Electric load whichever is more. (ii) Minimum 50 Kilowatt peak (kwp) Or 3% of the combined Electric load whichever is more."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.